

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area, Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

क्रमांक:—F-109(9)/SIHFW/MH-Recruit/LT/2023/6896-6901
आदेश

दिनांक:—30/7/25

नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती 2023 के अन्तर्गत लैब टैक्नीशियन भर्ती के अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक जिनका भर्ती परिणाम रोक़ा हुआ था, का नीचे दी गई सारणी में दिये गये कारणों के अनुसार अंतिम चयन नहीं किया जा सकता है। निम्नांकित सारणी में सम्मिलित समस्त आवेदकों को निर्देशित किया जाता है कि इस सूची के जारी होने की तिथि से 07 दिवस में चयन नहीं किये जाने के संबंध में यदि उनकी कोई परिवेदना है तो निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर को व्यक्तिगत अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। 7 दिवस में प्राप्त परिवेदनाओं पर विचार किया जाकर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

S. No.	Applicant Name	Application ID	Date of Birth	Father's Name	Category	अंतिम चयन नहीं किये जाने का कारण
1.	MANOJ SWAMI	LTN110423	9/7/1992	OMPRAKAS H SWAMI	OBC-NCL/ --	सवाईमानसिंह चिकित्सालय जयपुर के पत्रांक 510 दिनांक 21.05.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि अभ्यर्थी द्वारा मेडिकल बोर्ड के समक्ष दिव्यांगता परीक्षण हेतु उपस्थित नहीं हुये है, के कारण चयन से वंचित रहे है।
2.	NEERAJ KUMAR JAIN	LTN118072	7/15/1991	PADAM CHAND JAIN	Gen (UNRESERVED)/	सवाईमानसिंह चिकित्सालय जयपुर के पत्रांक 510 दिनांक 21.05.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि अभ्यर्थी द्वारा मेडिकल बोर्ड के समक्ष दिव्यांगता परीक्षण हेतु उपस्थित नहीं हुये है, के कारण चयन से वंचित रहे है।
3.	NARENDRA NITHARWAL	LTN118480	5/5/1998	MANGI LAL CHOUDHARY	OBC-NCL/ --	राजकीय रुक्मणीदेवी बेनीप्रसाद जयपुरिया चिकित्सालय, जयपुर द्वारा अभ्यर्थी के अनुभव का पुनर्सत्यापन कर एक वर्ष से कम की अनुभव अवधि सत्यापित की गई है। अतः अभ्यर्थी को बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 42.939 प्रतिशत बनते है जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
4.	DEEPAK NAGADA	LTT114225	6/4/1996	MAGAN LAL NAGADA	TSP-GEN (UNRESERVED)/	अभ्यर्थी ने दिव्यांगजन श्रेणी में आवेदन किया है। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु एसएमएस चिकित्सालय, जयपुर में गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 11.10.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता हियरिंगडिसेबिलिटी 23 प्रतिशत है। अतः अभ्यर्थी को विशेष योग्यजन श्रेणी का लाभ देय नहीं है।
5.	PUSHPENDRA KUMAR SAINI	LTN117421	10/14/1999	BANAI SINGH SAINI	OBC-NCL/ --	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली द्वारा अभ्यर्थी के अनुभव का पुनर्सत्यापन कर एक वर्ष से कम की अनुभव अवधि सत्यापित की गई है। अतः अभ्यर्थी को बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंको के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 45.573 प्रतिशत बनते है जो उनके जातिवर्ग के कटऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।

क्रमांक:—F-109(9)/SIHFW/MH-Recruit/LT/2023/6896-6901
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

निदेशक
दिनांक:—30/7/25

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
- निजी/रक्षित पत्रावली।

निदेशक